

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898**

In the Court of **Rakesh Bhide** Judicial Magistrate **First Class Kasrawad**
Case No 688/22 Complaint or report made on 14/09/22 Name and address
of the complainant शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कसरावद

म.प्र. राज्य द्वारा थाना कसरावद विरुद्ध उमेश

Name, parentage, caste and address of accused

नाम उमेश पिता आ.रा.रा.रा. उम. 42 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कसरावद
तहसील कसरावद जिला खरसंग

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 14/09/22 को 17/10 बजे थाना कसरावद स्थित
स्थान रि.प्र. अदालत के बरंड के विपरीत जो कि लोक स्थान है पर
अंके के माध्यम से रुपयों की हार-जीत का दाव लगाकर कौशल के
खेल से भिन्न का खेल खेलकर जुआ खेला। इसके द्वारा आपने धारा 04 सार्वजनिक धूत
अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है। अतः
क्या आप दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(राकेश भिडे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त की प्ली
अपराधिता है
उमेश

(राकेश भिडे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The offence proved, of any, and in case under clause. (d) clause (e) clause (f) or clause (g). of
Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



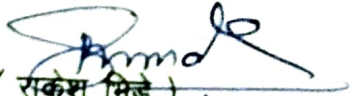
:: निर्णय ::

// आज दिनांक 11/10/22 को घोषित //

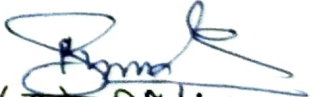
1. अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रकरण में सक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत अपराध की विशिष्टिया पढकर, सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है अतः अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एव रुपये 1000/- के अर्धदण्ड (अक्षरी रुपये) ~~एक हजार~~ से दण्डित किया जाता है।
3. अभियुक्त द्वारा अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा नगदी रुपये 2465/- राजसात हो व विधिवत जमा हो तथा अन्य उपकरण आदि मुल्यहीन होने से बाद अपील अवधी पश्चात् नष्ट हो तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर अकित
किया गया।


(राकेश मिश्र) 11/10/22

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद


(राकेश मिश्र) 11/10/22

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद